



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ 1937 (श0)
(सं0 पटना 715) पटना, मंगलवार, 30 जून 2015

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं
26 जून 2015

सं0 7 /स्था01-1-1 /2012सा0प्र0-9308—भारत-संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्शी के पश्चात्, बिहार असेनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-** (1) यह नियमावली बिहार असेनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
- 2. उक्त नियमावली, 1955 के परिशिष्ट 'ग' में संशोधन।-**
 - (1) उक्त नियमावली, 1955 के परिशिष्ट 'ग' के क्रमांक 2(5) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
“(5) भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India)150”
 - (2) उक्त नियमावली, 1955 के परिशिष्ट 'ग' की परीक्षा की पाठ्य सूची के अधीन “क्रमांक-5 में उल्लिखित विषय “मध्यस्थता अधिनियम, 1940” तथा “दंड प्रक्रिया संहिता (संख्या-5, 1898)” विषय “मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and conciliation Act, 1996)” तथा “दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (संख्या-2, 1974) [Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)]” द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किए जाएंगे।”
 - (3) उक्त नियमावली, 1955 के परिशिष्ट 'ग' की परीक्षा की पाठ्य सूची का क्रमांक 6 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
“6 भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India):-
(क) भारत का संविधान अनुच्छेद 1 से 395 एवं अनुसूचियाँ (Constitution of India - Article 1 to 395 and Schedules)
(ख) भारत की प्रशासनिक विधि (Administrative Law of India): निम्नलिखित अध्याय:-

- (i) प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation);
 - (ii) प्रत्यायोजित विधान का नियंत्रण: न्यायिक एवं विधायी (Control of delegated legislation- Judicial & Legislative);
 - (iii) निष्पक्ष सुनवायी: नैसर्गिक न्याय का नियम: पक्षपात के विरुद्ध नियम: 'ऑडी आल्टेरम पारटेम' (Fair Hearing: Rules of Natural Justice: Rule Against Bias: Audi Alteram Partem);
 - (iv) न्यायाधिकरण एवं अर्द्धन्यायिक प्राधिकरण; उनपर न्यायिक नियंत्रण (Tribunals and Quasi- Judicial Authorities: Judicial Control over them);
 - (v) विनियामक प्राधिकरण (Regulatory Authorities);
 - (vi) प्रशासनिक कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review of Administrative Action);
 - (vii) रिट क्षेत्राधिकार एवं सांविधिक न्यायिक उपचार: क्षेत्र, विस्तार एवं अंतर (Writ Jurisdiction and Statutory Judicial Remedies: Scope, Extent & Distinction);
 - (viii) पब्लिक इंटरैस्ट लिटिगेशन (Public Interest Litigation);
 - (ix) राज्य का अपकृत्य दायित्व एवं प्रतिकर (Tortious Liability of State & Compensation);
 - (x) वचन विबंध, विधि सम्मत प्रत्याशा एवं समानुपातिकता का सिद्धांत (Promissory Estoppel, Legitimate Expectation & Doctrine of Proportionality);
 - (xi) सरकारी संविदा (Government Contracts);
 - (xii) ओम्बुड्समैन (Ombudsman)"
- (4) उक्त नियमावली, 1955 के परिशिष्ट 'ग' की "परीक्षा की पाठ्यसूची" के "क्रमांक-8(ख) के अधीन प्रयुक्त शब्द, अंक एवं कोष्ठक "विशिष्ट सहाय्य अधिनियम (संख्या-1, 1887)" शब्द, अंक एवं कोष्ठक "विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (संख्या-47, 1963) [Specific Relief Act, 1963 (Act 47 of 1963)]" द्वारा प्रतिस्थपित किए जाएंगे।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव।

26 जून 2015

सं० 7/स्था०1-1-1/2012सा०प्र० 9309/अधिसूचना संख्या-9308 दिनांक 26.6.15 का संलग्न अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव।

The 26th June 2015

No. 7/Ashta-01-1-1/2012GAD-9308—In exercise of the powers conferred by Article 234 of Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955, in consultation with the High Court, Patna and the Bihar Public Service Commission:-

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These Rules may be called the, Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Amendment Rules, 2015.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force at once.
2. **Amendment in Appendix-C of the said Rules, 1955 :-**
 - (1) Serial no. 2(5) of Appendix 'C' of the said Rules, 1955 shall be substituted by the following :-
“(5) Constitutional and Administrative Law of India 150”
 - (2) Subjects "Arbitration Act of 1940" and "Criminal Procedure Code (V of 1898)" mentioned in S. N. 5 of Syllabus of the Examination of Appendix 'C' of the said

- Rules, 1955 shall be substituted by the subjects "Arbitration and conciliation Act, 1996" and "Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)." respectively.
- (3) Sl. No. 6 of the Syllabus of the Examination of Appendix-'C' of the said Rules, 1955 shall be substituted by the following:-
- "6 Constitutional and Administrative Law of India :-
- (a) Constitution of India - Article 1 to 395 and Schedules.
- (b) Administrative Law of India : the following chapters:-
- (i) Delegated Legislation
 - (ii) Control of delegated legislation- Judicial & Legislative
 - (iii) Fair Hearing: Rules of Natural Justice: Rule Against Bias: Audi Alteram Partem
 - (iv) Tribunals and Quasi- Judicial Authorities: Judicial Control over them
 - (v) Regulatory Authorities
 - (vi) Judicial Review of Administrative Action
 - (vii) Writ Jurisdiction and Statutory Judicial Remedies: Scope, Extent & Distinction
 - (viii) Public Interest Litigation
 - (ix) Tortious Liability of state & Compensation
 - (x) Promissory Estoppel, Legitimate Expectation & Doctrine of Proportionality
 - (xi) Government Contracts
 - (xii) Ombudsman"
- (4) The words, figures and brackets "Specific Relief Act (I of 1877)" used under Sl. No. 8(B) of syllabus of the Examination of Appendix-'C' of the said Rules, 1955 shall be substituted by the words, figures and brackets "Specific Relief Act, 1963 (Act 47 of 1963)."

By order of the Governor of Bihar,
KANHAIYA LAL SAH,
Under Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 715-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>